छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

खण्ड – 6

दिसम्बर, 2015 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक 02-मार्च, 2016 को सदन में प्रस्तुत)

राजनांदगांव
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय
2016

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अध्याय-7 ''प्रश्न'' में नियम क्रमांक 28 से नियम क्रमांक 50 तक सभा में माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, ग्राह्यता की शर्तें और सभा में प्रश्नकाल की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान उल्लेखित किये गये हैं.

प्रश्नकाल सभा का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है. इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह भी स्थापित हो चुका है कि प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाता. इसके साथ ही जब एक बार प्रश्न अध्यक्ष के द्वारा ग्राह्य कर लिया जाता है, तब शासन के लिए उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बंधनकारी होता है. अपवाद स्वरूप कभी-कभी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि शासन के लिए यह संभव न हो कि वह निर्धारित अवधि में प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराय. ऐसी परिस्थिति में भी शासन के संबंधित विभाग को यह तो सूचित करना ही पड़ता है कि-''जानकारी एकत्रित की जा रही है''.

इस संकलन में दिसम्बर, 2015 सत्र की बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों तथा पुनरीक्षित उत्तरों को मुद्रित कराया गया है.

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्ठक [............] के अंदर मुद्रित है. इस संकलन में महिला एवं बाल विकास, गृह तथा आदिम जाति, अनुसूतिच जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रश्न तथा यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन एवं प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित किए गए हैं.

रायपुर,

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.

दिनांक : 28 फरवरी, 2016

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	दिसम्बर, 2015 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1-3
2.	दिसम्बर, 2015 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	4-12
3.	दिसम्बर, 2015 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची.	13-28

छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2015 सत्र के प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

खण्ड-6

प्रदेश में चिटफंड कंपनियों द्वारा आपराधिक कृत्य एवं नकली नोट के प्रकरणों पर कार्यवाही

1. (क्र. 50) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 से 30 अक्टूबर, 2015 तक चिटफंड कंपनियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य तथा नकली नोट के कितने मामले प्रकाश में आए हैं ? कितनी राशि की ठगी, लूट, हड़प हुई है ? कितने के नकली नोट जब्त हुए हैं ? जिलेवार, वर्षवार जानकारी दें. (ख) उपरोक्त मामलों में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है ? कितने जेल में तथा कितने जमानत पर हैं ? कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किए गए हैं ? कितने में दोष सिद्धि तथा दोष मुक्त हुई है ? (ग) कितने प्रकरणों में चिटफंड कंपनियों की चल अचल संपत्तियों की कुर्की हुई तथा कितनी राशि पीड़ितों को वापस की गई ? वर्षवार उक्त अवधि की जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में अनियमित वित्तीय कंपनियों (तथा कथित चिटफण्ड कंपनियों) के विरुद्ध एवं जालीनोट के विरुद्ध जिलेवार, वर्षवार पंजीबद्ध अपराध, ठगी की गई राशि तथा जप्त जालीनोट की जिलेवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"क" एवं "ख" पर है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 601 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 256 प्रकरण में चालान न्यायालय पेश किया गया है, इनमें से दिनांक 30-10-2015 की स्थिति में कितने व्यक्ति जेल में है एवं कितने जमानत पर है, [जानकारी एकत्र की जा रही है.] 30 प्रकरण में दोषसिद्धि (सजा) हुई है तथा 30 प्रकरण में दोषमुक्त हुये हैं. शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है. (ग) किसी भी प्रकरण में अनियमित वित्तीय कंपनियों की चल अचल संपत्तियों की कुर्की नहीं हुई है. ग्रीन-रे इंटरनेशनल कंपनी के तीन बैंक खातों को फ्रीज़ किया गया है. साई प्रकाश फायनेंस एडवर्सरी सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड के तीन बैंक खातों को फ्रीज़ किया गया है. एचबीएन कंपनी एवं बीपीएन कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार कुल रुपये 12,82,84,273/- (बारह करोड़ बयासी लाख चौरासी हजार दो सौ तिहत्तर) की राशि पीड़ितों को वापस की गई है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ग" पर है.

भाग	प्रश्न	उत्तर
ख	उपरोक्त मामलों में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है ? कितने जेल में तथा कितने जमानत पर हैं ? कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं ? कितने में दोषसिद्धि तथा दोषमुक्त हुई है.	प्रश्नाधीन अवधि में 601 गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से कुल 184 व्यक्ति जेल में हैं तथा 254 व्यक्ति जमानत पर हैं. शेष जानकारी पूर्ववत् है.

[भाग (ख) के [ ] अंश की पूर्ण जानकारी]

बस्तर संभाग में शिक्षित बेरोजगारों को कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण

2. (क्र. 268) **श्री मोहन मरकाम :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर संभाग में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने शिक्षित बेरोजगारों को कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया ? जिलेवार ट्रेडवार संख्यात्मक जानकारी दी जाए ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : [बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना तथा केन्द्र शासन की स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है :—

- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2013-14 में 2620 युवाओं तथा वर्ष 2014-15 में 11747 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. जिलेवार ट्रेडवार जानकारी ++ संलग्न प्रपत्र "अ" में है.

- स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत वर्ष 2013-14 में 2465 युवाओं तथा वर्ष 2014-15 में 3606 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. जिलेवार ट्रेडवार जानकारी ++ संलग्न प्रपत्र "ब" में है.] राज्य में कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं में "शिक्षित बेरोजगारों" को वर्गीकृत कर जानकारी संधारित नहीं किये जाने से उक्त जानकारी दिया जाना संभव नहीं है.

[पुनरीक्षित उत्तर]

प्रदेश में महिला अधिकारियों से दुर्व्यवहार की प्राप्त शिकायतें

. 3. (क्र. 330) **डॉ. विमल चोपड़ा :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में महिला अधिकारियों से दुर्व्यवहार की कितनी शिकायतें शासन को सन् 2011 जनवरी से 17-11-2015 तक प्राप्त हुई है (ख) शिकायतकर्ता का नाम, आरोपी का नाम, शिकायत की तिथि बताएं ? (ग) शिकायतों पर की गयी जांच एवं कार्यवाही की जानकारी भी बताएं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : [(क), (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है.] (क) प्रश्नांश अवधि में प्रदेश में महिला अधिकारियों से दुर्व्यवहार की कुल 40 शिकायतें विभागों को एवं 17 शिकायतें राज्य महिला आयोग को प्राप्त हुई हैं. (ख) एवं (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है.

प्रदेश में निवासरत विशेष संरक्षित जनजाति

4. (क्र. 778) **श्री भूपेश बघेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कौन-कौन सी विशेष संरक्षित जनजाति के लोग निवासरत हैं ? उन्हें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित कौन-कौन सी योजनाओं के तहत क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त है ? (ख) वर्ष 2013 से 2015 में 15 नवंबर 2015 तक प्रदेश में पाये जाने वाले विशेष संरक्षित जनजाति के कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? मृत्यु के कारण सहित जानकारी देवें ?

[यथा संशोधित प्रश्न]

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : [(क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है.] (क) प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति क्रमश: (1) बैगा, (2) पहाड़ी कोरवा, (3) बिरहोर, (4) कमार एवं (5) अबूझमाड़ियाँ जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति क्रमश: (1) पण्डो (2) भुंजिया निवासरत है. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की जा रही सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" पर है. (ख) कुल 1056 लोगों की मृत्यु हुई है. मृत्यु के कारण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" पर है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र की शालाओं में अहाता निर्माण की स्वीकृति

5. (क्र. 822) **श्री चुन्नीलाल साहू** (अकलतरा) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा विधान सभा क्षेत्र की कितनी शासकीय शालाओं में अहाता निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : [जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा विधान सभा क्षेत्र की शासकीय शालाओं में विगत 3 वर्षों में अहाता निर्माण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है :-

वर्ष	स्वीकृत संख्या
2013-14	0
2014-15	0
2015-16	4 हाईस्कूल

]

जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा विधान सभा क्षेत्र की शासकीय शालाओं के लिये इस वित्तीय वर्ष में अहाता निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है.

[पुनरीक्षित उत्तर]

† परिशिष्ट "एक"

जिला राजनांदगांव में शौचालय निर्माण में व्यय राशि

6. (क्र. 834) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में शौचालय निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि, कब-कब, कहां-कहां हेतु स्वीकृत की गई है ? तथा शौचालय निर्माण हेतु कब-कब निविदा आमंत्रित की गई है ? (ख) उक्त प्रशिक्षण कार्य हेतु स्वीकृत राशि से कब-कब, किस-किस कार्य हेतु प्रशिक्षण का आयोजन कहां-कहां पर किया गया तथा कितनी-कितनी राशि प्रशिक्षण कार्य पर व्यय की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : [(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जिला राजनांदगांव में शौचालय निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान से वर्ष 2013-14 में रुपये 413.161 लाख जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जारी किये गये थे. वर्ष 2014-15 में रुपये 249.96 लाख एवं वर्ष 2015-16 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से रुपये 3874.44 लाख की स्वीकृति शौचालय निर्माण हेतु दी गई. उपरोक्त अवधि में प्रशिक्षण कार्य हेतु योजनांतर्गत कोई राशि व्यय नहीं की गयी है. शौचालय निर्माण हेतु कोई निविदा नहीं बुलाई गई है. वर्षवार, ग्रामपंचायतवार स्वीकृत शौचालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट" में दर्शित अनुसार है. (ख) जिला राजनांदगांव में निर्मल भारत अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य हेतु योजनांतर्गत कोई राशि व्यय नहीं की गई है.

[पृथक वितरित उत्तर]

दुर्ग जिले में पुल-पुलिया, भवन एवं सड़कों के निर्माण की स्वीकृति

7. (क्र. 865) **श्री अरूण वोरा** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में 20 नवंबर, 2015 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने पुल पुलिया, भवन एवं सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) इनमें से कितने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं अपूर्ण कार्यों को कब तक प्रारंभ किया जाकर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? (ग) क्या निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो संबंधित ठेकेदारों व अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : [(क), (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गई है.] "क", "ख" एवं "ग" से संबंधित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स्थान पर पुस्तकालय में रखे पुनरीक्षित परिशिष्ट को पढ़ा जावे.

[पुनरीक्षित उत्तर]

दिसम्बर, 2015 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[प्रश्न संख्या 03 (क्र. 330) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	विभाग का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	आरोपी का नाम	शिकायत की तिथि	शिकायतों पर की गई जांच एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्य कर विभाग	सुश्री करूणा मिंज	1. श्री जी. एस. मिश्रा 2. श्री आर. के. त्रिवेदी एवं अन्य अधिकारी.	13-08-2013	कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर रायपुर में गठित महिला उत्पीड़न निरोधक समिति द्वारा उक्त प्रकरण में जांच की कार्यवाही की जा रही है.
2.	स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा	डॉ. श्रीमती शशि तिर्की	श्री शंखलेश्वर सिंह	25-07-2015	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा संभाग के आदेश क्रमांक-27 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा श्री शंखलेश्वर सिंह, को निलंबित कर दिया गया है एवं जांच अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विद्याभूषण टोप्पो, चिकित्सा अधिकारी सूरजपुर को बनाया गया है.
		डॉ. एस. ए. वंजारी	डॉ. मो. वेदी बाशा	29-05-2015	शिकायत की जांच हेतु समिति गठित की गई है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
3.	वन विभाग	सुश्री स्टाइलो मण्डावी	श्रीमती रेखा सिंह	19-02-2015	उक्त शिकायत की जांच श्री गुरूनाथन एन भा.व.से. (प्रशिक्षु) उप वनमण्डलाधिकारी कोटा की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन कर जांच की कार्यवाही पूर्ण की गई एवं जांच में श्रीमती रेखा सिंह, को दोषी पाये जाने पर समिति द्वारा लघु शास्ति के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई. जिस पर आरोपी को कारण दर्शाओ सूचना जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया. स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		श्रीमती सुषमा जे. नेताम	श्री रामकृपाल सिंह	03-03-2015	उक्त शिकायत के संबंध में मुख्य वन संरक्षण जगदलपुर द्वारा आयुक्त बस्तर संभाग को अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 25 दिनांक 5-03-2015 के माध्यम से आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया. तत्संबंध में आयुक्त बस्तर संभाग द्वारा जिला कलेक्टर दंतेवाड़ा को जांच करने हेतु लेख किया गया. इसके अतिरिक्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. अराज.) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प्रशा.अराज./2015/2417 दिनांक 16-03-2015 द्वारा प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को लेख किया गया है. उक्त पत्र के तारतम्य में अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग एवं कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया है. उक्त प्रकरण संबंधी जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है.
4.	उच्च शिक्षा	श्रीमती सावित्री त्रिपाठी	श्री यू. एन. कुर्रे	08-03-2013	कार्यवाही प्रचलन में है.
5.	लोक निर्माण	श्रीमती प्रियंका मेहता	श्री पूनम सिंह राजपूत	16-12-2011	जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर श्री पूनम सिंह राजपूत, को निलंबित किया गया. विभागीय जांच उपरान्त आंशिक रूप से दोषी पाये जाने के पश्चात् उनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है.
		श्रीमती ममता पटेल	मेसर्स मुस्कान कोल ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्रा. श्री नवीन केशरवानी एवं श्री निखिल केशरवानी	14-09-2015	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र के आधार पर मेसर्स मुस्कान कोल ट्रेडिंग कंपनी को कारण बताओ सूचना जारी किया गया है.
6.	विधि एवं विधायी कार्य	श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव	श्री शिवकुमार गुप्ता	03-03-2015	विभागीय जांच उपरांत संबंधित कर्मचारी को सेवा से पृथक किया गया.
7.	तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन विज्ञान प्रौद्योगिकी	पालक के द्वारा	श्री अनिल टेम्मेकर एवं श्री ए. ए. मंसूरी	03-12-2014	श्रीमती मीना गनवीर, संयुक्त संचालक, संचा. रोजगार एवं प्रशिक्षण नया रायपुर से शिकायत की जांच कराई गई है. जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलन में है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		श्री जे. पी. मिश्रा	डॉ. बी. एस. चावला	10-06-2014	प्राप्त शिकायत पर संचा. स्तर पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु गठित समिति को जांच हेतु निर्देशित किया गया. समिति द्वारा जांच उपरांत अभिमत दिया गया है कि प्रकरण महिला प्रताड़ना का न होकर प्रशासकीय कड़ाई का है.
8.	सहकारिता	श्रीमती किरण गुप्ता	श्री टी. आर. साहू	09-07-2015	श्री टी. आर. साहू, का स्थानांतरण विभाग के आदेश दिनांक 15-10-2015 द्वारा दुर्ग से कांकेर किया गया.
9.	ऊर्जा विभाग	1. कु. प्रतिभा खुटे 2. कु. जुवेना गोम्स 3. कु. नमिता विभा लकरा 4. श्रीमती रोशनी वर्मा 5. कु. आकांक्षा गजपाल	श्री ए. के. देवता तथा श्री नीतीश चक्रवर्ती	15-05-2015	शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है.
		कु. दिव्या गड़पाले,	श्री सुमित सिंह	14-08-2013	जांच करने पर आरोपी द्वारा मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत सत्य पाई गई. आरोपी से माफीनामा लिखवा कर उनका स्थानांतरण कर दिया गया है.
		कु. नीलिमा कौशिक	श्री राजा बाबू कोसरे	16-11-2015	जांच करने पर शिकायत सत्य पाई गई. आरोपी को चेतावनी देकर उनकी पदस्थापना दूसरे ग्रुप में कर दी गई है.
		कु. सुमन यादव	श्री अजय कुमार पटेरिया	02-11-2013	जांच करने पर शिकायत सत्य पाई गई. आरोपी को चेतावनी देकर उनका स्थानांतरण कर दिया गया है.
10.	पशुपालन विभाग	श्रीमती उत्तरा दीवान	डॉ. संजय जैन	19-02-2013	संचालनालय द्वारा पत्र क्र. 815, दिनांक 01-03-2013 द्वारा संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, जिला रायपुर को शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.		डॉ. श्रीमती अर्चना अग्रवाल	श्री के. एस. ठाकुर	21-05-2013	शिकायत की निष्पक्ष जांच हेतु कलेक्टर, जिला बिलासपुर को संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, जिला बिलासपुर द्वारा पत्र क्र. 530, दिनांक 06-06-2013 के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव अनुसार, कलेक्टर जिला बिलासपुर द्वारा प्रभारी अधिकारी, महिला उत्पीड़न, जिला कार्यालय बिलासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया. जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 29-08-2013 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. जांच समिति द्वारा शिकायत को महिला उत्पीड़न एवं यौन शोषण के अंतर्गत नहीं होना पाया गया परन्तु अनुशासन हीनता का दोषी पाते हुए आरोपी को व्यवहार में सुधार करने चेतावनी देने की अनुशंसा की गई. तत्संबंध में श्री के. एस. ठाकुर को उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें, जिला जांजगीर-चांपा (वर्तमान पदस्थापना) द्वारा पत्र क्र. 3845-46 दिनांक 28-10-2013 के द्वारा, भविष्य में अपने व्यवहार में सुधार लाने हेतु चेतावनी पत्र दिया गया.
12.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सुश्री मंजीत कौर .	श्री भवानी शंकर तिवारी	2-03-2013	श्री बी. एस तिवारी को पंचायत संचालनालय के पत्र क्रमांक पंचा. 2013/190/दिनांक 19-03-2015 द्वारा 07 दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया था श्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक न पाए जाने के कारण इनकी संविदा अवधि में वृद्धि नहीं की गई.
13.		कुमारी प्रियंका ठाकुर एवं अन्य	श्री शुक्र निषाद	29-07-2013	शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव द्वारा किया गया जांच में शिकायत की पुष्टि नहीं हुई. श्री शुक्र निषाद को प्रशासनिक दृष्टि से जनपद पंचायत फरसगांव से जनपद पंचायत कोण्डागांव में स्थानांतरित किया गया है.
14.		सुश्री सुमन कौर	श्री दिनेश कुमार नाग	28-08-2015	प्रकरण की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर द्वारा की गई है. जांच प्रतिवेदन में भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए श्री दिनेश कुमार नाग, को अन्यत्र पदस्थ किए जाने की अनुशंसा की गई है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.		श्रीमती सीमा मौर्य एवं अन्य, जनपद पंचायत अंबिकापुर	श्री पंकज श्रीवास्तव	05-11-2012	जांच उपरान्त महिला कर्मचारी श्रीमती सीमा मौर्य, श्रीमती अलका मिश्रा, कुमारी क्षिप्रा गौतम की पद स्थापना अन्य जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में किया गया है.
16.		श्रीमती रौशनी गुप्ता एवं श्रीमती प्रियंका देशमुख	श्री शेष नारायण साहू	21-10-2013	उक्त तथ्यों को आधार मानते हुए आरोपी श्री शेष नारायण साहू को संविदा सेवा से पृथक कर दिया गया है.
17.	गृह विभाग	महिला उप निरीक्षक	श्री संजय शर्मा	07-04-2015	शिकायत पर पुलिस मुख्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न मामले में गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रकरण की जांच की गई, जिसमें अनावेदक को महिला उत्पीड़न में दोषी पाये जाने पर निलंबित किया गया है. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
18.	महिला एवं बाल विकास	सुश्री प्रियंका किरण	श्रीमती आई. टोप्पो	25-05-2015	राज्य महिला आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
19.	कृषि विभाग	श्रीमती प्रभाती गुप्ता	श्री भुवन सिंह पोट्टाम	22-11-2013	अध्यक्ष महिला यौन उत्पीड़न समिति कार्यालय, उप संचालक कृषि दुर्ग द्वारा शिकायत की जांच की गई. शिकायत की पुष्टि उपरान्त जांच समिति के निर्णय के आधार पर आरोपी का एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई.
20.		श्रीमती सुषमा नाथ	श्री किशोरी लाल सोनी	26-06-2015	शिकायत की जांच कार्यालय उपसंचालक कृषि बिलासपुर अध्यक्ष, महिला यौन उत्पीड़न समिति को सौंपी गई. जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है.
21.		श्रीमती सुषमा नाथ	श्री आशीष जायसवाल एवं श्री किशोरी लाल सोनी	17-08-2015	शिकायत की जांच कार्यालय उपसंचालक कृषि बिलासपुर अध्यक्ष, महिला यौन उत्पीड़न समिति को सौंपी गई. जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है.
22.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	डॉ. श्रीमती किरण गुप्ता	श्री बी. सक्सेना	17-09-2012	शिकायत प्राप्त होने पर समिति द्वारा दोनों पक्षों (शिकायतकर्ता एवं आरोपी) तथा अन्य संबंधित गवाहों के बयान लिये गये एवं जांच की विस्तृत रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपी गई. जिस पर निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं इं.गा.कृ.वि. कर्मचारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					आचरण नियम 2005 के प्रावधान अनुसार आरोपी पुरुष अधिकारी श्री बी. सक्सेना की आगामी तीन वेतनवृद्धि रोके जाने का आदेश दिया गया.
23.		कु. अंजुम अहमद	श्री परमूराम भारद्वाज	13-04-2015	शिकायत को जांच समिति के सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों एवं संबंधित गवाहों के बयान लिये गये. समिति के जांच के पश्चात दोनों (शिकायतकर्ता एवं आरोपी) को परामर्श देकर उनकी शिकायत का निराकरण कर जांच की रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपी गई.
24.	कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	श्रीमती मिनाक्षी गौतम	श्री अशोक कुमार पाण्डेय	09-09-2014	आरोपी अधिकारी क्लास-दो वर्ग का होने के कारण अद्यतन कार्यवाही हेतु शासन को एकल नस्ती क्रमांक स्टेनो/2015/19 दिनांक 04-08-2015 को भेजा गया है.
25.	समाज कल्याण विभाग	श्रीमती अंजलि भगत	श्री एन. पी. पटेल	26-09-2015	शिकायत की जांच कराई गई है. सही पाये जाने पर पद से पृथक किया गया.
26.	खनिज साधन विभाग	श्रीमती ज्योति मिश्रा	श्री अनिल साहू	-	छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के समक्ष शिकायत की गई थी. शिकायत की जांच हेतु समिति गठित किया जाकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया. प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण का निराकरण किया गया तथा शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है.
27.		श्रीमती सुजाता फर्नांडीस	श्री एन. के. तिवारी	-	जांच की कार्यवाही प्रचलन में है.
28.	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग	श्रीमती नीतू सिंह नेताम	श्री धर्मेन्द पशीने	24-08-2015	शिकायत क्रमांक 1 से 4 में श्री धर्मेन्द्र कुमार पशीने सहायक खाद्य अधिकारी को शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर निलंबित कर आरोप पत्र जारी किया गया.
29.		कु. अनामिका महिपाल		24-08-2015	
30.		सुश्री चंचल सोनी		25-08-2015	
31.		कु. शालिनी साहू		28-08-2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.		सुश्री सुषमा शुक्ला	श्री एम. एन. प्रसाद	26-03-2013	निगम द्वारा गठित महिला उत्पीड़न कमेटी के सदस्यों द्वारा शिकायत की जांच की गई. तत्पश्चात् मुख्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था./2014/1050 दिनांक 22-07-2014 के द्वारा समझाईस देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया.
33.	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर	श्रीमती वंदना तावेले	श्री अनूपप्रताप एक्का	07-01-2013	शिकायत की महिला उत्पीड़न समिति द्वारा जांच की गई. आरोपी के विरुद्ध स्थानांतरण की कार्यवाही से शिकायतकर्ता संतुष्ट है. शिकायतकर्ता द्वारा आगे कार्यवाही नहीं चाही गई. प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया.

प्रपत्र "ब"

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	आरोपी का नाम	शिकायत की तिथि	शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डॉ. शीला साहा	अरूण साहू, बबलूराम उर्फ जयराम, दिनेश, महेश श्रीवास्तव	24-09-2013	दिनांक 24-09-2013 को पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को शिकायत में जांच हेतु पत्र प्रेषित.	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन
2.	डॉ. श्रीमती सुनीता तिवारी	डॉ. डी. के. चक्रवर्ती	03-12-2014	प्रकरण में आयोग द्वारा सुनवाई जारी	लंबित
3.	डॉ. श्रीमती चंद्र किरण सिंह	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर	01-05-2015	मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जवाब हेतु पत्र प्रेषित	प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन
4.	सुश्री कदम्ब कुंवर इन्दवार	श्री अनिल श्रीवास्तव, श्री गुलाब राम भगत.	2012	आयोग के समक्ष उभयपक्षों के मध्य समझौता	निराकृत
5.	डॉ. अभया गुप्ता	श्री एल. पी. तिवारी	07-07-2014	जांच प्रतिवेदन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी को पत्र प्रेषित	लंबित
6.	श्रीमती सपना पाटकर	श्री लक्ष्मीप्रसाद तिवारी	20-03-2014	जांच प्रतिवेदन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित	लंबित
7.	डॉ. मंजीत कौर बल	श्री अजय चंद्राकर मंत्री छ.ग. शासन	24-08-2015	संचालक ठा. प्यारेलाल पंचा. ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा को जांच प्रतिवेदन हेतु पत्र प्रेषित.	लंबित
8.	श्री शिमला जोशी एवं अन्य	श्री आर. एस. तिलवार	18-08-2015	शिकायत पर आयोग द्वारा सुनवाई. जांच प्रतिवेदन हेतु प्राचार्य शा.औ. प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को पत्र प्रेषित	लंबित
9.	सुश्री प्रीति शर्मा	श्री एम. व्ही. भास्कर	27-03-2012	आयोग द्वारा सुनवाई में उभयपक्षों के मध्य समझौता	निराकृत
10.	श्रीमती मिनाक्षी गौतम	अशोक पाण्डेय	16-10-2014	शिकायत पर आयोग में सुनवाई की गई. जांच प्रतिवेदन हेतु नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छ.ग. को पत्र प्रेषित.	लंबित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	कु. करूणा मिंज	श्री आर. के. त्रिवेदी	25-07-2013	शिकायत पर आयोग में सुनवाई की गई.	लंबित
12.	श्रीमती ममता सिंह	थाना प्रभारी थाना माना रायपुर	31-1-2014	शिकायत में आयोग द्वारा सुनवाई	निराकृत
13.	श्रीमती सरला शर्मा	श्री सी. आर. रात्रे	29-7-2013	आयोग द्वारा सुनवाई में उभयपक्षों के मध्य समझौता	निराकृत
14.	श्रीमती उत्तरा दीवान	डॉ. संजय जैन	6-3-2013	आयोग द्वारा सुनवाई में उभयपक्षों के मध्य समझौता	निराकृत
15.	सुश्री सुमन कौर	श्री दिनेश कुमार नग	21-9-2015	कलेक्टर कांकेर को उचित कार्यवाही व जांच प्रतिवेदन हेतु पत्र प्रेषित	निराकृत
16.	कु. गोमती कश्यप	श्री एस. के. परिहार	16-4-2015	पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही व जांच प्रतिवेदन हेतु पत्र प्रेषित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन (निराकृत)
17.	डा. निरजा रानी पाठक	प्रोफेसर एस. के. पाण्डे	15-6-2012	आयोग द्वारा सुनवाई में उभयपक्षों के मध्य समझौता	निराकृत

दिसम्बर, 2015 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्रमांक	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन / वक्तव्य
1	16.12.15	ता. 7 (क्र–45)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
2	दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र			
3	17.12.15	ता. 2 (क्र–409)	ग्रामोद्योग	संशोधन
4	17.12.15	ता. 4 (क्र–48)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
5	17.12.15	ता. 15 (क्र–334)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
6	17.12.15	ता. 16 (क्र–693)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
7	17.12.15	ता. 18 (क्र–489)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
8	दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र			
9	21.07.15	ता. 13 (क्र–98)	वन	संशोधन
10	दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र			
11	22.07.15	ता. 25 (क्र–630)	जल संसाधन	संशोधन
12	दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र			
13	दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र			

प्रेस नोट:-
[illegible]
कृपया इसे
क्रमांक-11
से 26 तक
फोटोकॉपी
के रूप में
प्रिंट करें।

(12)

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16/12/2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 03 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक 45) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहती हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग **(ख) के परिशिष्ट** तीन के प्रपत्र ब के सरल क्र. 6 के पश्चात् निम्नांकित जानकारी जोड़कर पढ़ा जावे :–

क्र.	हितग्राही वर्ग	प्रतिदिन प्रदाय की जाने वाले रेडी टू ईट की मात्रा
7	किशोरी बालिकाएं	165 ग्राम (सप्ताह में 6 दिन हेतु 990 ग्राम का पैकेट)

तथा

उत्तर के भाग **"ख"** से संबंधित प्रपत्र **"स"** के स्तंभ 6 "शिकायत प्राप्ति के तिथि" में अंकित दिनांक 01.11.2013 के स्थान पर 18.11.2013 तथा स्तंभ 9 "जांच का दिनांक" में अंकित 13.09.2013 के स्थान पर 23.01.2014 संशोधित कर पढ़ा जावे।

(रमशीला साहू)
मंत्री,
महिला एवं बाल विकास विभाग

Vidhansabha Lett.doc

(13)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची मे मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
	तारांकित प्रश्नोत्तर	
ता.प्र.सं. 9 (क्र. 579) उत्तर (ख)	जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है	जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 261) उत्तर (क)	शेष ग्राम की जिलेवार संख्या प्रपत्र (अ) में दर्शित है.	शेष ग्राम की जिलेवार संख्या †† सलग्न परिशिष्ट में दर्शित है
ता.प्र.सं. 24 (क्र. 147) उत्तर (क)	दिनांक 29–03–2015 को जिला महासमुद	दिनांक 28–03–2015 को जिला महासमुद
	नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर	
परि अता.प्र.सं. 14 (क्र. 183) उत्तर (ख)	ग्रामों के विद्युतीकरण की अद्यतन †† संलग्न प्रपत्र "ब" मे दर्शित है.	ग्रामों के विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.
परि अता.प्र.स. 15 (क्र. 184) प्रश्न (ग)	किन–किन फर्म एवं एजेंसियों एवं सहायता समूहों के विरुद्ध	किन–किन फर्म एवं एजेंसियों एवं स्व–सहायता समूहों के विरुद्ध
परि अता.प्र.सं. 36 (क्र. 498) उत्तर (ख)	सरगुजा संभाग को प्रोषित किया गया है.	सरगुजा संभाग को प्रेषित किया गया है.
परि अता.प्र.सं. 39 (क्र. 537) प्रश्न (ख)	अन्य राज्यों को वर्ष 2015 से अक्टूबर 2015 तक	अन्य राज्यों को वर्ष 2015 में अक्टूबर 2015 तक
	तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट	
ता.प्र.सं. 17 (क्र. 178) परिशिष्ट "दस" / शीर्षक / पृ.क्र. 76	प्रपत्र "अ"	

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर

दिनांक : 15 दिसम्बर, 2015

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(17)

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज **दिनांक 17 दिसम्बर 2015** की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या **02** (क्रमांक **409**) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :--

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ''क'' में अंकित ''खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में छुरिया ब्लाक के अंतर्गत ग्राम आमगांव में कंबल प्रोसेसिंग फैक्ट्री का प्लांट 21.09.2013 को शुभारंभ हुआ है। कंबल प्रोसेसिंग फैक्ट्री की लागत राशि रूपये 4.57 करोड़ है।''

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :--

''खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में छुरिया ब्लाक के अंतर्गत ग्राम आमगांव में कंबल प्रोसेसिंग फैक्ट्री का प्लांट 21.09.2013 को शुभारंभ हुआ है। कंबल प्रोसेसिंग फैक्ट्री की लागत राशि रूपये 405.57 लाख है।''

(पुन्नूलाल मोहले)
मंत्री
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन तथा ग्रामोद्योग विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारुप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक **17 दिसंबर, 2015** को प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ कमांक 02 के मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या **04** (कमांक 48) में,

मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग **'ख'** की जानकारी के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित भाग **'ख'** पढ़ा जावें।

(ख) 02 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी। 09 अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। 03 अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया हैं। 01 अधिकारी के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 13 अधिकारी /कर्मचारियों को पद से पृथक किया गया है। 07 सरपंच के विरूद्ध पंचायतराज अधिनियम के तहत प्रकरण न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दर्ज किया गया है। एंटीकरप्शन ब्यूरो को कोई भी प्रकरण कार्यवाही हेतु प्रस्तुत नही किया गया है।

तथा प्रश्न के भाग **'क'** एवं **'ग'** के उत्तर से संबंधित पुस्तकालय में रखे **''परिशिष्ट—एक''** के स्थान पर **''संशोधित परिशिष्ट—एक''** पढ़ा जावें।

(अजय चन्द्राकर)
मंत्री
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक **17 दिसम्बर, 2015** को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक **05** में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या **15** (तारांकित प्रश्न क्रमांक – **334**) में,

मै निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग **'क'** के स्थान पर निम्नानुसार **''संशोधित (क)''** पढ़ा जावें ।

(क) सूरजपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2014–15 से वर्ष 2015–16 तक टी. गार्ड बनाकर 133.63 कि.मी. रोड पर वृक्षारोपण कार्य कराया गया है ।

(अजय चन्द्राकर)
मंत्री
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(17)

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक **17.12.2015** की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ **क्रमांक–05** में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–**16** (**कमांक–693**) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (घ) के द्वितीय पंक्ति में "दो कार्य" तथा **परिशिष्ट "पाँच" के प्रपत्र–"अ"** में स्वीकृत वर्ष 2013–14 में दर्शित तालिका में सरल क. 01 से 04 उल्लेखित है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :–

उत्तर के **भाग "घ"** के द्वितीय पंक्ति में "तीन कार्य" तथा **परिशिष्ट "पाँच" के प्रपत्र**–"अ" में स्वीकृत वर्ष 2013–14 में दर्शित तालिका के सरल क. 04 के बाद सरल कमांक 05 में स्तम्भ क्रमांक 02 से 08 में निम्नानुसार पढ़ा जावे।

स.क्र.	विकासखण्ड	सड़क का नाम / कहाँ से कहाँ तक का कार्य किया गया	ठेकेदार का नाम	लंबाई (किमी)	लागत राशि लाख में	कार्य की भौतिक स्थिति	विलम्ब के लिए ठेकेदार पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
5	धमधा	मेन रोड टी013 से कंदई	राजकॉन इंजी. प्रा.लि.	1.50	58.48	पूर्ण	अनुबंधित समय में पूर्ण

(अजय चन्द्राकर)
मंत्री,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

(18)

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक **17 दिसम्बर, 2015** को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक **06** में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या **18** (तारांकित प्रश्न क्रमांक – **489**) में,

मै निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर से संबंधित **परिशिष्ट "सात"** के **प्रपत्र "ब"** में क्रमांक 08 बी.आर.जी.एफ.योजना एवं क्रमांक 10 मूलभूत योजना के सम्मुख अंकित जानकारी के स्थान में निम्नानुसार संशोधित जानकारी पढ़ा जावें ।

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या	पूर्ण होने का दिनांक
8	बी.आर. जी.एफ.	133	748.14	685.46	89	44	31 / 12 / 2015
10	मूलभूत योजना	1063	275.52	275.52	1063	0	—

(अजय चन्द्राकर)
मंत्री
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

19

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि – पत्र

दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 5 (क्र. 583) उत्तर / स्तंभ "सरल क्रमांक"	3	2
ता.प्र.सं. 5 (क्र. 583) उत्तर / स्तंभ "सरल क्रमांक"	4	3
ता.प्र.सं. 7 (क्र. 640) उत्तर (क)	रायपुर जिले में वर्ष 2013–14	रायपुर जिले में वर्ष 2012–13
नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर		
परि अता.प्र.सं. 45 (क्र. 623) उत्तर (ख)	जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में संलग्न है	जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में संलग्न है
तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट		
ता.प्र.सं. 17 (क्र. 654) परिशिष्ट "छ:" / पृ.क्र. 61	तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 654) के भाग (क) की जानकारी	तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 654) के भाग (ख) की जानकारी
दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित ता.प्र.सं.–3 (क्र. 03) के उत्तर के भाग "ग" में अंकित तालिका के स्तंभ–02 के शीर्षक "कार्य पूर्ण होने के कारण" के स्थान पर "कार्य अपूर्ण होने के कारण" अंकित कर पढ़ा जावे।		

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक: 16 दिसम्बर, 2015

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नो में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 21.12.2015 की प्रश्नोंत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 05 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 13 (कमांक–98) में से निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

उत्तर के भाग 'क' एवं 'ख' की जानकारी परिशिष्ट–~~एक~~ नौ में दर्शित है'' तथा भाग 'घ' में प्रश्नांश ''क'' के तहत् रोपित पौधे में जीवित पौधों का प्रतिशत लगभग 82 प्रतिशत है जानकारी ''परिशिष्ट–~~एक~~ नौ'' में दर्शित है, का लेख किया गया है ।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित/पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावें :–

उत्तर के भाग 'क' एवं 'ख' की जानकारी संलग्न संशोधित/पुनरीक्षित ''परिशिष्ट–एक'' में दर्शित है'' तथा भाग 'घ' में प्रश्नांश ''क'' के तहत् रोपित पौधे में जीवित पौधों का प्रतिशत लगभग 74 प्रतिशत है, जानकारी संशोधित/पुनरीक्षित ''परिशिष्ट–एक'' में दर्शित है ।

(संलग्न संशोधित/पुनरीक्षित ''परिशिष्ट–एक'')

(महेश गागड़ा)
वनमंत्री

(महेश गागड़ा)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
वन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

(2)

परिशिष्ट–एक

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 98 [illegible]

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013–14 से 21 नवम्बर 2015 तक की वृक्षारोपण हेतु व्यय की गई राशि, मदवार, परिक्षेत्रवार पौधों की संख्या एवं जीवित पौधों के प्रतिशत सहित विवरण

वनमण्डल/परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	रोपण हेतु स्वीकृत राशि	रोपण हेतु प्राप्त राशि	रोपण पर व्यय राशि	रोपित पौधों का लक्ष्य	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का प्रतिशत
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		वर्ष 2013–14						
पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	केम्पा	39.25	39.25	39.21	55000	55000	70
पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	मनरेगा	55.00	18.21	18.21	51195	36364	65
कांकेर	चारामा	कैम्पा	74.80	74.80	58.61	99000	99000	75
कांकेर	चारामा	मनरेगा	5.00	5.00	2.39	13276	13276	50
कांकेर	चारामा	हरियाली प्रसार योजना	1.31	1.31	1.23	10000	10000	65
कांकेर	चारामा	राज्य औषधीय पादप बोर्ड	4.26	4.26	4.26	10000	10000	70
कांकेर	चारामा	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	4.68	4.68	4.30	40000	40000	70
कांकेर	कोरर	मनरेगा	11.00	10.70	6.00	29152	29152	55
कांकेर	कोरर	हरियाली प्रसार योजना	1.20	1.20	1.04	10000	10000	60
अंतागढ़	कांकेर	निगम मद	14.00	6.69	5.34	45000	45000	75
अंतागढ़	कराठी काष्ठागार	वन विकास उपकर	5.10	5.10	5.08	3750	3750	76
		योग (वर्ष 2013–14) :–	215.59	171.20	145.67	366373	351542	66
		वर्ष 2014–15						
पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	मनरेगा	44.02	3.20	3.20	48085	48085	65
पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	विभागीय	28.68	28.41	28.37	22000	22000	75
पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	हरियाली प्रसार योजना	1.88	1.88	1.88	17000	17000	69
पूर्व भानुप्रतापपुर	दुर्गूकोन्दल	विभागीय	12.62	12.62	11.67	26604	26604	75
पूर्व भानुप्रतापपुर	दुर्गूकोन्दल	हरियाली प्रसार योजना	0.88	0.88	0.88	8000	8000	69
कांकेर	चारामा	कैम्पा	28.09	28.09	19.28	72700	72700	75
कांकेर	चारामा	विभागीय मद	9.73	9.73	8.40	35636	35636	67
कांकेर	चारामा	हरियाली प्रसार योजना	1.13	1.13	1.13	10000	10000	75
कांकेर	कोरर	कैम्पा	28.71	28.71	24.90	71800	71800	73

वनमंडल/परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	रोपण हेतु स्वीकृत राशि	रोपण हेतु प्राप्त राशि	रोपण पर व्यय राशि	रोपित पौधों का लक्ष्य	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का प्रतिशत
1	2	3	5	6	7	8	9	10
कांकेर	कोरर	विभागीय मद						
कांकेर	कोरर	हरियाली प्रसार योजना	16.18	16.18	9.36	10000	10000	76
अंतागढ़	भानुप्रतापपुर	निगम मद	1.13	1.13	1.13	10000	10000	70
अंतागढ़	भानुप्रतापपुर	हरियर छ.ग.	18.35	18.35	5.94	58650	58650	75
अंतागढ़	दुर्गकोंदल	—,,—	51.67	51.67	37.72	5116	5116	84
अंतागढ़	दुर्गकोंदल	हरियर छ.ग	11.58	11.58	5.12	40000	40000	80
अंतागढ़	अंतागढ़	हरियर छ.ग.	41.34	41.34	26.54	4000	4000	80
			31.00	31.00	19.91	3000	3000	81
		योग (वर्ष 2014—15) :—	326.98	285.89	205.43	442591	442591	74
		वर्ष 2015—16 (21 नवम्बर 2015 तक)						
पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	कैम्पा						
पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	बांस मिशन	4.45	4.45	4.45	11000	11000	90
पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	हरियाली प्रसार योजना	42.31	42.31	42.29	88000	88000	90
पूर्व भानुप्रतापपुर	दुर्गूकोन्दल	हरियाली प्रसार योजना	21.12	21.12	18.42	200000	200000	85
कांकेर	चारामा	कैम्पा	10.56	10.56	10.57	100000	100000	80
कांकेर	चारामा	हरियाली प्रसार योजना	20.03	20.03	16.22	44000	44000	80
कांकेर	चारामा	राज्य औषधीय पादप बोर्ड	16.74	16.74	8.02	120000	120000	80
कांकेर	कोरर	कैम्पा	19.17	19.17	12.32	66300	66300	80
कांकेर	कोरर	हरियाली प्रसार योजना	18.75	18.75	7.29	18000	18000	90
कांकेर	कोरर	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम अंतर्गत	12.56	12.56	5.96	90000	90000	74
अंतागढ़	भानुप्रतापपुर	निगम मद	4.67	4.67	2.11	100000	100000	80
अंतागढ़	दुर्गकोंदल	हरियर छ.ग	11.53	11.53	8.04	152500	152500	76
अंतागढ़	अंतागढ़	हरियर छ.ग.	117.85	117.85	17.70	11000	11000	80
			74.99	74.99	11.26	7000	7000	81
		योग (वर्ष 2015—16—21 नवम्बर 2015 तक) :—	374.73	374.73	164.65	1007800	1007800	82
		योग भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र (2013—14 से 21 नवम्बर 2015 तक):—	917.30	831.81	515.75	1816764	1801933	74

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग मंत्रालय

अ.प्र.मु.व.सं. (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, रायपुर

(23)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि – पत्र

दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर		
परि. अता.प्र.सं. 12 (क्र. 287) प्रश्न (ख)	क्रय एजेंसी किये बनाया गया है	क्रय एजेंसी किसे बनाया गया है
परि. अता.प्र.सं. 21 (क्र. 527) उत्तर (ग)	अभिलेखों के आधार पर जांच	अभिलेखों के आधार पर स्थल जांच
नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट		
परि. अता.प्र.सं. 09 (क्र. 192) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट ''उन्नीस'' के प्रपत्र ''अ'' पृष्ठ क्रमांक 69 का शीर्षक **''बस्तर संभाग में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC's) + संस्थाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की जानकारी''** के पश्चात् **''वर्ष 2013 में बस्तर संभाग – निरंक है.''** पढ़ा जावे ।		
दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या– 51 (क्र.–834) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावें।		

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांकः 20 दिसम्बर, 2015

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(2A)

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 22.12.2015 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक– ..08...... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–25 (क्रमांक–630) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर (क) एवं (ख) से संबंधित परिशिष्ट "दस" में मुद्रित निम्नांकित जानकारी

क्र.	स्वीकृत वर्ष	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	लागत राशि (लाख में)	बंड की लंबाई (मी.)	बंड की ऊपर की चौड़ाई (मी.)	बंड की ऊचॉई (मी.)		पूर्ण/ अपूर्ण
							अधिकतम	न्यूनतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2013–14	मानिकपुर	बलरामपुर	33.78	120	3.00	7.30	1.00	पूर्ण
2	2013–14	कोटालू	शंकरगढ़	36.89	120	4.75	6.20	0.90	पूर्ण
3	2013–14	मदपुरी	कुसमी	35.59	120	3.50	8.10	0.80	पूर्ण
4	2013–14	बासेन	राजपुर	34.44	120	3.00	7.40	0.90	पूर्ण
5	2013–14	शंकरपुर	वाड्रफनगर	35.51	120	3.80	6.40	0.85	पूर्ण
6	2014–15	सरईडीह	शंकरगढ़	13.936	लम्बाई x चौड़ाई x गहराई (मीटर में) 81.00x81.00x3.00		—	—	पूर्ण

के स्थान पर निम्नानुसार तालिका पढ़ी जावे :–

क्र.	स्वीकृत वर्ष	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	लागत राशि (लाख में)	बांध की लंबाई (मी.)	बांध की चौड़ाई (मी.)		बांध की अधिकतम गहराई (मी.) (एफ.टी.एल. तक)	पूर्ण/ अपूर्ण
						ऊपरी सिरा	निचला सिरा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2013–14	मानिकपुर	बलरामपुर	33.78	100.00	3.00	39.30	6.00	पूर्ण
2	2013–14	कोटालू	शंकरगढ़	36.89	165.00	3.00	32.15	4.70	पूर्ण
3	2013–14	मदपुरी	कुसमी	35.59	100.00	3.00	40.40	6.20	पूर्ण
4	2013–14	बासेन	राजपुर	34.44	100.00	3.00	40.15	6.10	पूर्ण
5	2013–14	शंकरपुर	वाड्रफनगर	35.51	100.00	3.00	40.40	6.20	पूर्ण
6	2014–15	सरईडीह	शंकरगढ़	13.936	लम्बाई x चौड़ाई x गहराई (मीटर में) 81.00x81.00x3.00				पूर्ण

(बृजमोहन अग्रवाल)
(बृजमोहन अग्रवाल)
मंत्री
जल संसाधन, आयाकट, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 9 (क्र. 26) उत्तर (ख)	युक्तियुक्तकरण कर इन शालाओं को परिशिष्ट–2 पर अंकित	युक्तियुक्तकरण कर इन शालाओं को संलग्न प्रपत्र–''ब'' पर अंकित
ता.प्र.सं. 22 (क्र. 585) उत्तर	क्षेत्रवार जानकारी संधारित की जाती	क्षेत्रवार जानकारी संधारित नहीं की जाती
ता.प्र.सं. 25 (क्र. 630)	23 (क्र. 630)	25 (क्र. 630)
तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट		
ता.प्र.सं. 09 (क्र. 26) परिशिष्ट ''तीन''/प्रपत्र–''ब''/क्र. –17,18,19/स्तंभ–2/पृ.क्र. 60	17 मा. कन्या शाला बदरा ठ	17 पूर्व मा. कन्या शाला बदरा ठ
	18 मा. कन्या शाला बदरा ब	18 पूर्व मा. कन्या शाला बदरा ब
	19 मा. कन्या शाला सिलदहा	19 पूर्व मा. कन्या शाला सिलदहा
अतारांकित प्रश्नोत्तर		
अता.प्र.सं. 10 (क्र. 204) प्रश्न (ग)	दोषयुक्त	दोषयुक्त सीमेन का उपयोग रोकने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?
अता.प्र.सं. 19 (क्र. 303) प्रश्न (क)	निर्माण के कार्य कहां–हां पर	निर्माण के कार्य कहां–कहां पर
अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट		
अता.प्र.सं. 47 (क्र. 826) /शीर्षक/पृ.क्र. 236	अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 826) के भाग	अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 826) के भाग
दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–16(क्र–822) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।		

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 21 दिसम्बर, 2015

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(26)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 16 (क्र. 23) उत्तर (क)	जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 3 पर संलग्न है	जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 3 पर है
ता.प्र.सं. 16 (क्र. 23) उत्तर (ख)	क्रमशः कॉलम–4 एवं कॉलम–6 पर संलग्न है	क्रमशः कॉलम–4 एवं कॉलम–6 पर है
ता.प्र.सं. 20 (क्र. 159) प्रश्न (क)	वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में 16–11–15 बालोद जिले में	वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में 16–11–15 तक बालोद जिले में
नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर		
परि अता.प्र.सं. 19 (क्र. 635) प्रश्न	क्या लोक मंत्री महोदय	क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय
परि अता.प्र.सं. 34 (क्र. 981) प्रश्न (ग)	क्या ये सही है कि मे. अन्ट्राटेक सीमेंट	क्या ये सही है कि मे. अल्ट्राटेक सीमेंट
नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर का परिशिष्ट		
परि अता.प्र.सं. 12 (क्र. 443)/शीर्षक/पृ.क्र.–115	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 443) की जानकारी	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 443) की जानकारी
अतारांकित प्रश्नोत्तर का परिशिष्ट		

अतारांकित प्रश्न संख्या–58(क्र–964) दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 के उत्तर से संबंधित प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिशिष्ट–सत्तर में अंकित जानकारी के वर्ष 2015–16 के सरल क्रमांक–31 के पश्चात् निम्नांकित जानकारी को जोड़कर पढ़ा जावे :–

क्र.	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृत वर्ष	निविदा आमंत्रण दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि	अद्यतन स्थिति			अपूर्ण एवं अप्रारंभ होने के कारण
								पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
32	मानपुर	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 पुरुर–बालोद–कुसुमकसा– मानपुर रोड के कि.मी. 80.600 से 84.200 (कुल लबाई 3.60 कि.मी.) में डब्ल्यू.बी.एम. पेच रिपेयर कार्य ।	19.99	2015–16	31.08.15	25.12.15	–	अपूर्ण	–	समयावधि शेष
33	मानपुर	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 पुरुर–बालोद–कुसुमकसा– मानपुर रोड के कि.मी. 66.300 (नटकसा) से 84.200 (बोरियामुखासी) में मेटल प्रदाय कार्य।	10.00	2015–16	31.08.15	25.12.15	–	अपूर्ण	–	समयावधि शेष
	योग :– 33 कार्य			238.83				25 पूर्ण	07 अपूर्ण	01 अप्रारंभ	

दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–25(क्र–268) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 22 दिसम्बर, 2015

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव — 189 — 3/2016 — 200.